राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

: नि र्ण य :

भेरूसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिए विशेष जन अभियोजक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या : 89/2005 अन्तर्गत धारा 482 दं.प्र.सं., विरूद्ध आद ेश दिना ंक 12.1.2005, जो सेशन प्रकरण संख या30/02 में अपर सेशन न यायाधीश (फास्ट ट्रेक), बालोतरा केम्प बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

निर्णय दिनांक : **14** फरवरी , 2005

-: उपस्थित :-

माननीय न यायाधिपति श्री कृष ण कुमार आचार्य

प्रार्थी के अधिवक ताश्री संदीप मेहता,
विशेष जन अभियोजक श्री पन ेक्सिंह, उपस्थित।

न यायालय द्वारा :

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा 16 गवाहो की सूची दी गई थी और उनको तलब करने की इस्तदुआ की गई थी। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया कि अभियुक्तगण किस प्रयोजन हेतु गवाह तलब कराना चाहते हैं वह नहीं दिया गया है अत: उन्होंने यह माना कि अभियुक्तगण प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से लम्बी सूची पेश की है। अभियुक्तगण के

गवाहो को तलब करने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि अभियुक्तगण जो भी गवाह पेश करना चाहते हैं वे अपने स्तर पर पेश करे। योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी ने गवाहान सूची, जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, उसकी नकल पेश की और उन्होंने इस न्यायालय में बताया कि इसमें जो भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गवाह नहीं है उनको वे स्वयं पेश कर देंगे, मगर उसके अलावा उक्त गवाहान सूची में जो गवाह दिए गए हैं वे इस प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक हैं, अत: उनको तलब करने का आदेश दिया जावे। उनका तर्क है कि इस गवाहान सूची में गवाह खीयाराम पुत्र अणदाराम, डूंगराराम पुत्र रूपाराम, भेजाराम पुत्र बांकाराम, प्रहलादराम पुत्र नारणाराम, राउराम पुत्र हरखाराम और उगमसिंह पुत्र भुरसिंह को वे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार अज खुद पेश कर देंगे, मगर जहां तक अन्य गवाहों का प्रश्न है, जिसमें उक्त गवाहान सूची में मूलाराम पुत्र राउराम, हेराजराम पुत्र गोकुलराम, हरिकुमार, नरपतसिंह पुत्र विशनसिंह, रेवन्तसिंह, जूझारसिंह, याकुब खान, के नरसिम्हा राव व नारायणसिंह पुत्र रिडमलसिंह, के लिए समन के बिना उन्हें लाना सम्भव नहीं है। सभी पुलिस कर्मचारी व अधिकारी हैं और इनकी साक्ष्य प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि यह सूची किसी भी प्रकार से प्रकरण देरीना करने के लिए नहीं दी है। अभियुक्तगण को साक्ष्य सफाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अभियुक्तगण की साक्ष्य आरम्भ हुई है और आरम्भिक स्टेज पर ही साक्ष्य की तलबी बन्द कर दी गई है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। धारा 233 (3) के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि अभियुक्तगण जो भी गवाह

तलब कराना चाहे उसके लिए नियमानुसार प्रोसेस जारी करे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के यह मान लिया कि प्रकरण को देरीना करने के लिए उक्त गवाहान सूची दी गई है, जो उचित नहीं है। अत: उनकी इस्तदुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे एवं अभियुक्तगण को साक्ष्य सफाई का पूर्ण अवसर दिया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने एतराज किया और तर्क किया कि अभियुक्तगण द्वारा 16 गवाहान की लम्बी सूची इस आधार पर दी गई है कि प्रकरण देरीना हो और इस न्यायालय में जो यह धारा 482 द.प्र.सं. की याचिका पेश की गई है उसमें मात्र पुलिस कर्मचारी/अधिकारियों को तलब करने की इस्तदुआ की गई है। योग्य जन अभियोजक का यह भी तर्क है कि इस सूची में अंकित के.नरसिम्हा राव एक अन्य तेलगी प्रकरण में हैदराबाद में जेल में है, उसे तलब करना सम्भव नहीं होगा। प्रकरण देरीना भी होगा, अत: के.नरसिम्हाराव को समन जारी नहीं किए जावे। अन्य पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों के लिए भी उनका तर्क है कि इनको समन जारी नहीं किए जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। धारा 233 दं.प्र.सं. के प्रावधानों का अवलोकन किया, जो निम्न प्रकार है :

> "233. Entering upon defence.-- (1) Where the accused is not acquitted under Section 232, he shall be called upon to enter on his defence and adduce any evidence he may have in support thereof.
> (2) If the accused puts in any written statement, the Judge shall file it with the record.
> (3) If the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the

> production of any document of thing, the Judge shall issue such process unless he considers, for reasons to be recorded, that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice."

अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था उसमें 16 गवाहो की सूची दी गई थी और उन्हें तलब करने की इस्तदुआ की गई थी। चूंकि योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में स्वीकार कर लिया है कि वे गवाह खीयाराम पुत्र अणदाराम, डूंगराराम पुत्र रूपाराम, भेजाराम पुत्र बांकाराम, प्रहलादराम पुत्र नारणाराम, राउराम पुत्र हरखाराम और उगमसिंह पुत्र भुरसिंह को अज खुद पेश कर देंगे, इस प्रकार उनकी तलबी की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं अभियुक्त-प्रार्थी की इस्तदुआ के अनुसार वे अज खुद साक्ष्य में इन्हें पेश करें और अधीनस्थ न्यायालय इन्हें साक्ष्य में पेश करने का अवसर दे। योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का मात्र यह तर्क है कि पुलिस कर्मचारी/अधिकारी गवाहो की जो सूची दी गई उनमें मूलाराम पुत्र राउराम, हेराजराम पुत्र गोकुलराम, हरिकुमार, नरपतसिंह पुत्र विशनसिंह, रेवन्तसिंह, जूझारसिंह, याकुब खान, के नरसिम्हा राव व नारायणसिंह पुत्र रिडमलसिंह जो गवाह सूची में पेश किए गए थे उन्हें तलब किया जाना आवश्यक हैं, ये सभी महत्वपूर्ण गवाह हैं। चूंकि गवाह के नरसिम्हा राव को बिना अधिक खर्चे के और बिना समय बरबाद किए तलब करना सम्भव नहीं होगा, अत: योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी स्वीकार करते हैं कि यह गवाह अन्य प्रकरण में मद्रास में है और यदि इन्हें तलब नहीं किया जाता है तो उन्हें एतराज नहीं है। मगर अन्य पुलिस

कर्मचारी/अधिकारी बिना समन के तलब नहीं होंगे और अन्य राजकीय कर्मचारी नारायण सिंह, जो जलदाय विभाग का कर्मचारी है जो बिना समन तलब नहीं हो सकेगा और सभी गवाह महत्वपूर्ण हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को इन गवाहो को तलब करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई उचित आधार लिखे ही इनकी तलबी प्रथम पेशी पर ही बन्द कर दी, जो धारा 233 दं.प्र.सं. के प्रावधानो के विपरीत है।

मेरे द्वारा विचार किया गया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में चार्ज दिनांक 3.11.98 को लगाए गए थे और 9.1.99 को चार्ज अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए गए, उसके बाद 19.8.04 तक अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में पत्रावली चलती रही और कम से कम पांच वर्ष तक का समय अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य में लिया। अभियुक्तगण के बयान 29.11.04 को कलमबन्द हुए हैं और साक्ष्य सफाई हेतु पत्रावली नीयत की गई जो 18.12.04 को थी, मगर 18.12.04 को पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे और 12.1.05 को यह पत्रावली रखी गई। अभियुक्त द्वारा धारा 233 दं.प्र.सं. का प्रार्थना-पत्र 22.12.04 को ही पेश कर दिया था, मगर वह प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह मुतफर्रिक याचिका धारा 482 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यही माना कि गवाहो के सम्बन्ध में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि इनको क्यों पेश करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रकरण लम्बा करने के लिए ही सूची पेश करना लिखकर यह प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि

अभियुक्तगण को सफाई का पूर्ण अवसर मिले व अभियोजन पक्ष के द्वारा 1998 के बाद 2004 तक अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में पत्रावली चलती रही और बयान मुल्जिम लेने के बाद अभियुक्तगण को एक भी अवसर दिए बिना गवाहो की तलबी नहीं किया जाना कतई न्यायोचित नहीं था। धारा 233 दं.प्र.सं. के प्रावधानो में भी साफ है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वे अभियुक्तगण जो सूची पेश कर गवाहो की तलबी चाहे उन्हें न्यायालय तलब करेगा। विशेष कारण लिखते हुए ही यह प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना चाहिए था, मगर इस प्रकरण में ऐसा कोई विशेष कारण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं लिखा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल अपास्त के है जो अपास्त किया जाता है। मगर इस प्रकरण में पुलिस कर्मचारियों और राजकीय कर्मचारी जो सूची में संख्या 1, 2, 7, 9, 10, 11 व 16 बताए गए हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कानून अनुसार समन के जरिए तलब करेगा और अन्य गवाहान खीयाराम, डूंगराराम, भोजाराम, प्रहलादराम, राउराम, उगमसिंह, जिन्हें योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि वे अज खुद पेश कर देंगे, इनके लिए समन जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी की इस्तदुआ के अनुसार अभियुक्तगण इन गवाहो को अज खुद पेश करेंगे। जहां तक गवाह के.नरसिम्हाराव का प्रश्न है, यह गवाह अन्य प्रकरण में जेल में बन्द होना बताया गया है, जिसे जेल से तलब करने में अधिक समय लगेगा व खर्चा भी अधिक होगा और इसे तलब नहीं करने हेतु योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी ने भी स्वीकृति दे दी है, अत: इसे तलब करने की

आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपरोक्त प्रकार से यह धारा 482 दं.प्र.सं. की याचिका अंशत: स्वीकार की जाती है और जो भी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी व राज्य कर्मचारी, अलावा गवाह के.नरसिम्हा राव, जो गवाहान सूची में बताए गए हैं उन्हें नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय तलब करेगा और बकाया गवाहो को अभियुक्त-प्रार्थी अज खुद पेश करेगा।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा